राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प 22 (303)/परि/प्रवर्तन/SDRI/2017/ 3629 जयपुर दिनांक 19/02/18

आदेश सं. 07/2018

राजस्थान खनिज प्रधान राज्य होने के कारण राज्य में ओवरलोडिंग एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय राजमार्गो पर ओवरलोडिंग के कारण न केवल सडके समय से पूर्व क्षतिग्रस्त हो जाती है। अपितु ओवरलोडिंग वाहनों के टायरों का ह्रास , ईधन की तुलनात्मक रूप से अधिक खपत, अधिक प्रदूषण तथा दुर्घटनाओं के कारण जान व माल की हानि होती है। एक अनुमान के अनुसार ओवरलोडिंग के कारण राष्ट्रीय राजमार्गो की कार्यक्षमता में 25 प्रतिशत तक ह्रास होता है, फलतः राष्ट्रीय राजमार्गो के रखरखाव पर अतिरिक्त व्यय करना पडता है , जो कि राष्ट्रीय धन के अपव्यय को इंगित करता है। परिवहन विभाग के उडनदस्तो द्वारा अनवरत चैकिंग करने पश्चात भी राज्य में ओवरलोड भार वाहनों के संचालन की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा ओवरलोडिंग पर राजस्थान के एक सीमित क्षैत्र (जिला परिवहन कार्यालय पाली, ब्यावर, अजमेर एवं किशनगढ) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ओवरलोड भार वाहनों के अध्ययन में यह पाया गया कि वे–ब्रिज वाले टोल नाकों से गुजरने वाले ओवरलोडेड भार वाहनों की संख्या (जिनका रिकॉर्ड टोल नाकों पर उपलब्ध है) की तुलना मे परिवहन विभाग के समस्त उडनदस्तों द्वारा बनाये गये चालानो की संख्या बहुत कम होने के कारण प्राप्त राजस्व भी बहुत कम हैं।

ऐसी स्थिति में टोल नाकों से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरने वाले ओवरलोडेड भार वाहनों के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परमजीत भसीन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा D.B. Civil Writ Petition (PIL) No 4563/2014 (देश भूषण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में दिनांक 19.02.2015 को दिये गये आदेश के आलोक में मुख्यालय के आदेश क्रमांक 6/2010 दिनांक 05.02.2010 के अनुसार समस्त अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा क्षमता से अधिक भार वहन करने वाले भार वाहनों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही में एकरूपता लाने एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. टोल नाकों से प्राप्त सूचना मे किसी भार वाहन के बार–बार ओवरलोड लेकर संचालन किया पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988/नियम 1989 के प्रावधानों के विपरित भार वाहन में भौतिक परिवर्तन कर बॉडी भारी बनाकर ओवरलोड भार ढोने में सक्षम बनाना पाये जाने पर भार वाहन का ULW (खाली भार का वजन) पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित ULW के बराबर करने तक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किया जावे।
2. टोल नाकों से प्राप्त सूचना में किसी भार वाहन में ओवरलोड संचालन पाया जाने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी को नोटिस जारी कर तत्कालीन वाहन चालक की जानकारी लेकर वाहन चालक को सुनवाई का नोटिस दिया जावे। सुनवाई उपरान्त लाईसेसिंग अधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (f) सहपठित नियम 1989 के नियम 21 (8) के अन्तर्गत वाहन चालक के लाईसेन्स को अयोग्य (Revoke) करने की कार्यवाही की जावे।
3. टोल नाकों से प्राप्त सूचना के अनुसार ओवरलोड भार ढोने वाले भार वाहनों द्वारा परमिट शर्तो के उल्लघंनो के कारण सक्षम प्रादेशिक प्राधिकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर परमिट निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त निर्देशानुसार सुगमता एवं सख्ती से कार्यवाही होना सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी / प्रादेशिक परिवहन अधिकारी निम्नानुसार कार्यवाही करें –

(a) जिन कार्यालयों के क्षैत्राधिकार मे टोल नाका स्थित है , उसके सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा टोल नाकों से ओवरलोड वाहनो की सूचना मासिक रूप से प्राप्त कर सूचना को अद्यतन (update) किया जावे एवं उपरोक्त सूचना को जिलावार संकलित कर सम्बन्धित परिवहन कार्यालय को जरिये ईमेल प्रेषित किया जावे। तत्पश्चात प्रत्येक जिला परिवहन अधिकारी समस्त कार्यालयों से प्राप्त सूचना को अद्यतन कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

(b) किसी भी परिवहन कार्यालय के क्षैत्राधिकार में उडनदस्तें की जांच में किसी भार वाहन के ओवरलोड संचालित पाये जाने पर उस कार्यालय को टोल नाकों से प्राप्त अद्यतन सूचना से जांच की जावे। जांच उपरान्त यदि उक्त भार वाहन द्वारा पूर्व में ओवरलोड संचालन पाया जावे तो सम्बन्धित वाहन के विरूद्ध उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने के पश्चात ही प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

(c) टोल नाकों से प्राप्त ओवरलोड संचालन की सूचना के आधार पर अथवा किसी भी परिवहन कार्यालय के उडनदस्ते की ओवरलोड जांच के उपरान्त किसी भार वाहन के विरूद्ध उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही प्रारंभ करने पर , कार्यवाही पूर्ण होने तक विवरण वाहन 4.0 सोफटवेयर पर अंकित करते हुए सम्बन्धित वाहन को ब्लॉक (Block) किया जावे। जिससे भार वाहन के विरूद्ध कार्यवाही लंबित रहने के दौरान सम्बन्धित परिवहन कार्यालय द्वारा भार वाहन से सम्बन्धित पंजीयन व अन्य कोई कार्य निष्पादित नही हो सके।

उपरोक्त आदेशो की सख्ती से पालना की जावे। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग जयपुर

क्रमांक :– प 22 (303) / परि / प्रवर्तन / SDRI / 2017 / 3630 – 3635 जयपुर दिनांक 15/02/18

प्रतिलिपी :–

1 महानिदेशक राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, 'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
2 समस्त मुख्यालय अधिकारीगण..।
3 समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ....।
4 समस्त जिला परिवहन अधिकारी ....।
5 श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
6 रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)